न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर0ए0एस

मि0नं0 – 56/2022

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी रोहीवडी तहसील नोहर।
2. प्रशांत पुत्र देशराज सेवदा जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

:–प्रार्थीगण

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र नंदगिर जाति गुंसाई निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र नंदगिर जाति गुंसाई निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. सुरेश कुमार पुत्र केसराराम जाति खाती निवासी आदर्शनगर हनुमानगढ।

:–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित</u>
<u>धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–श्री नवीन गोयल प्रार्थी
श्री नन्दूसिंह गोदारा अप्रार्थी

<u>निर्णय</u> दिनांकः 28/4/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं0 123/156 के मु0 न0 53 के किला न0 16/1, 16/2, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 54 के किला न0 24, 25, मु0 न0 64 के किला न0 5 कुल रकबा 1.518है0, जिसमें नहरी 1.468है0, गै0 मु0 खाला 0.50है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया रोशनी का 2/3 हिस्सा तथा सुरेश कुमार पुत्र केसराराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अप्रार्थीगण की चक 5 सीएचएन के खाता सं0 144/153 के मु0 न0 53 के किला न0 18, 19 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 20/1 की 0.240है0, किला न0 20/2 की 0.013है0, किला न0 23 की 0.253है0 कुल रकबा 1.012है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया अपनी खातेदारी रोही चक 5 सीएचएन के खाता सं0 123/156 के मु0 न0 53 के किला न0 16/1, 16/2, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 54 के किला न0 24, 25, मु0 न0 64 के किला न0 5 कुल रकबा 1.518है0, जिसमें नहरी 1.468है0, गै0 मु0 खाला 0.50है0 सम्मन 0.50है0 कृषि भूमि के मु0 [illegible] के किला न0 24 में आवागमन के लिए रास्ता मु0 न0 53 के किला न0 [illegible] के पश्चिमी तरफ व किला न0 21, 22, 23 के दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व [illegible] में से प्रार्थीया अ[illegible] किला न0 24 में प्रवेश करती है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 [illegible] नाम मु0 न0 53 के [illegible] न0 23 के दक्षिण की तरफ पश्चिम से पूर्व एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:20:01 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जवाब पेश किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के खाता सं0 144/53 के मु0न0 53 के किला न0 23 की 0.253है0 में से 0.013है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व रास्ता का उपयोग करता है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मध्य एक अन्य विवाद शिशपाल बनाम लक्ष्मणगिर जैरकार है इसलिए उक्त प्रकरण का निस्तारण होने तक रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मु0न0 53 के किला न0 23 की 0.253है0 में से 0.013है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व रास्ता का उपयोग करता है। इसलिए उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीया का अपनी खातेदारी में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पडता है। रास्ता की एवज की भूमि के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है उक्त धारा के अनुसार बाजार भाव से कीमत देने के लिए तत्पर व तैयार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के खाता सं0 144/53 के मु0न0 53 के किला न0 23 की 0.253है0 में से 0.013है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व रास्ता का उपयोग करता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है व रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता सं0 144/53 के मु0न0 53 के किला न0 23 की 0.253है0 में से 0.013है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व एक गटठा चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। मु0न0 53 के किला न0 23 की 0.253है0 में से 0.013है0 की रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल [illegible] ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:20:01 IST
Reason: SelfAttested